संख्या: NRLM-01-/2016-17-RDD(LIVELIHOOD)-255-259

हिमाचल प्रदेश सरकार,

ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज

प्रेषक:

निदेशक एवं विशेष सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज,
हिमाचल प्रदेश, 171009.

प्रेषित,

1. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त अधिशाषी अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, हि॰ प्र॰।
3. समस्त उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हि॰ प्र॰।
4. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, पंचायती राज विभाग, हि॰ प्र॰।
5. समस्त खंड विकास अधिकारी, हि॰ प्र॰।

दिनांक: शिमला - 171009 28th मई 2020

विषय: हिमाचल प्रदेश राज्य ग्राम आजीविका मिशन के अंतर्गत 'मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना' का क्रियान्वयन।

महोदय,

मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना के संदर्भ में इस कार्यालय के दिनांक: 15 मई 2020 को भेजे गए पत्र संख्या: **NRLM-01- / 2016-17-RDD (Livelihood) / 61** के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 23 मई 2020 को हुई **ZOOM VC** में खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा दिये गए सुझावों के आधार पर निम्नलिखित परिवर्तन और परिवर्धन किए जा रहे हैं।

- पूर्ववृत्त में भेजे गए पत्र के बिंदु 5 के अंतिम पद "कृपया ध्यान रहे की यह प्रक्रिया अनिवार्य तौर पर 27 मई तक पूरा किया जाना अनिवार्य है" को संशोधित करते हुए इस योजना की पंजीकरण सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए खोल दिया गया है तथा पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक बढ़ायी गयी है। अब कोई भी स्वयं सहायता समूह की महिला वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन ग्राम पंचायत कार्यालय में जा कर आवेदन कर सकती है।
- पूर्ववृत्त में भेजे गए पत्र के बिंदु 8 "मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची में निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य जोड़े जा रहे हैं:

Scanned with CamScanner

च. पशु धन आश्रय जैसे कि - गौ शाला, बकरी खलिहान और मुर्गी घर निर्माण संबन्धित कार्य

छ. जल संचयन संबन्धित कार्य

ज. सिंचाई जैसे कि - कूल या ग्राम में नैहर निर्माण संबन्धित कार्य

➢ इसी संदर्भ में आवेदन हेतु प्रार्थना पत्र संलग्न किया गया है।

संलग्न → उपरोक्त

भवदीय,

सी॰ एं॰ वर्मा,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
दूरभाष: +91--98163-70382

प॰ संख्या: - NRLM-01-/2016-17-RDD(LIVELIHOOD) - 260 - 266 दिनांक: 28th मई, 2020

प्रति लिपियाँ प्रेषित: -

1. संयुक्त निदेशक, मनरेगा सेल, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश।
2. संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त **NRLM** विकास खण्ड कर्मी एवं विकास खण्ड कोऑर्डिनेटर, हिमाचल प्रदेश, को सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. समस्त ग्राम प्रधान, समस्त ग्राम पंचायत, हिमाचल प्रदेश, को सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. समस्त ग्राम पंचायत सचिव, हिमाचल प्रदेश, को सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. समस्त ग्राम रोजगार सेवक, हिमाचल प्रदेश, को सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. गार्ड फ़ाइल

सी॰ एं॰ वर्मा,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
दूरभाष: +91-98163-70382

Scanned with CamScanner

मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु प्रार्थना पत्र

मैं (आवेदक का नाम)........................ .... ; पत्नी / पुत्री (पति/ पिता का नाम) .... ; जाती (वर्ग)...................... .... ; BPL संख्या (अगर BPL में है तो) .... ; (समूह का नाम) ...., स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ जिसकी पंजीकरण संख्या .... है। मेरा मरेगा जॉब कार्ड नंबर बना है .... ; मेरा पूरा पता .... गांव .... ग्राम पंचायत .... है, और मेरा दूरभाष न०............. .... है।

मैं मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना, में मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित स्वीकृत कार्यों को ✓ करना चाहती हूँ। (जो कार्य करना चाहते है उन्हें चुनें)

- ☐ भूमि सुधार।
- ☐ पौधशाला निर्माण।
- ☐ फलदार पौधा रोपण।
- ☐ केंचुआ खाद के लिए गड्ढा खोदना व् पक्का बनाना।
- ☐ अजोला के लिए गड्ढा खोदना व् पक्का बनाना ।
- ☐ पशु धन आश्रय निर्माण से संबन्धित कार्य जैसे कि - गौ शाला, बकरी खलिहान और मुर्गी घर इत्यादि।
- ☐ जल संचयन संबन्धित कार्य।
- ☐ सिंचाई से संबन्धित कार्य जैसे कि - कूल या ग्राम में नैहर निर्माण।

निवेदक /प्रार्थी के हस्ताक्षर

भूमि का विवरण

खता न०..................... ; खतौनी न०...................... ; खसरा न०.................. ;

मोहाल व् मौजा न०...............; कुल क्षेत्रफल .... बीघा

☐ में अपनी भूमि जिसका विवरण ऊपर लिखा है, पर इस योजना का लाभ लेना चाहती हूँ, (पर्चा संलग्र):

☐ मैं अपनी पारिवारिक भूमि जिसका विवरण ऊपर लिखा है, पर यह कार्य करना चाहती हूँ, जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न है (पर्चा संलग्र):

मैं .... ऊपर दिये भूमि विवरण का भूस्वामी हूँ, अतः मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना मैं कार्य करने वाली महिला मेरी .... है। मैं किसी भी अनचित दबाव और बलप्रयोग के बिना. और अपनी

Scanned with CamScanner

मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु प्रार्थना पत्र

स्वेच्छा से, इस अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वारा प्रार्थी को कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति दे रह हूँ।

भूस्वामी के हस्ताक्षर

स्वयं सहायता समूह

यह प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य है एवं **मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना** के अंतर्गत कार्य करने हेतु इच्छुक है।

प्रधान स्वयं सहायता समूह (मोहर व् हस्ताक्षर)

ग्राम पंचायत

यह ग्राम पंचायत ऊपर दिये विवरण से संतुष्ट है तथा लाभार्थी (नाम) .... को मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना का उचित प्रत्याशी के रूप में स्वीकारती है तथा प्रस्ताव संख्या................................ को पारित करती है जिसकी अनुमानित लागत ₹............................../- है।

प्रधान स्वयं सहायता समूह (मोहर व् हस्ताक्षर)

Scanned with CamScanner